

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 28.09.2021

थाना भोगनीपुर

दिनांक 27.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग मु0अ0सं0 469/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त कैलाश यादव को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना राजपुर

दिनांक 27.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0-136/12 धारा 138 विधुत अधि0 में वारन्टी अभियुक्त राजू को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना अकबरपुर

दिनांक 27.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0-182/16 धारा- 135 वि0 अधि0 में वारन्टी अभियुक्त वसीम को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना रसूलाबाद

दिनांक 27.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग एसटी नं0 120/16 धारा 392/452/323/506 भादवि में वारन्टी अभियुक्त अर्वेश कुमार को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना भोगनीपुर

दिनांक 27.09.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 138/17 धारा 138 बी विधुत अधि0 में वारन्टी अभियुक्त उमेश को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

धारा 151 दं0प्र0सं0

दिनांक 28.09.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा थाना सटटी 03, अकबरपुर 06, रसूलाबाद 07, शिवली 07, डेरापुर 04, अभियुक्तों को धारा 151 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।